राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/सड़क निर्माण/18/76665-681 दिनांक :– 01/10/18

स्वीकृति आदेश

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के कार्यालय में दिनांक 10.09.2018 को हुई बैठक की कार्यवाही विवरण क्रमांक एफ 40(33)( )सामान्य/2018/9041 दिनांक 10.09.2018 में लिये गये निर्णयानुसार श्रीगंगानगर शहर में सड़क निर्माण कार्यो के लिये राशि रू. 20.00 करोड़ की लागत से कार्य करवाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय आदेश क्रमांक 74344 दिनांक 14.09.2018 द्वारा जारी की गई थी, जिसमें कार्य की क्रियान्विति हेतु नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को अधिकृत किया गया था। अब पूर्व में अधिकृत कार्यकारी एजेन्सी नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड श्रीगंगानगर को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया जाता है। इस हेतु रूडसिको द्वारा नगर परिषद, श्रीगंगानगर को राशि रू. 20.00 करोड़ उपलब्ध करवाई जायेगी। जिसे नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड कार्यालय श्रीगंगानगर को कार्यो की क्रियान्विति हेतु हस्तांतरित की जायेगी।

इसके साथ ही निर्देश दिये जाते है कि :–

1. राशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिस हेतु राशि जारी की गई है।
2. इस राशि के व्यय में RTPP Act 2012/Rules 2013 संबंधित वित्तीय नियमों एंव निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाये।
3. कार्यो की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी द्वारा करवाई जावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ सड़क निर्माण/18/76665-681 दिनांक :– 01/10/18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा0 शासन विभाग राज0 जयपुर।
5. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया UIT, PWD एवं नगर परिषद में समन्वय करते हुये तुरन्त निविदायें PWD के माध्यम से जारी करवाकर कार्य सम्पन्न करावें।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
7. कार्यकारी निदेशक, रूडसिकों, लालकोटी स्कीम, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त स्वीकृति में वर्णितानुसार राशि रू. 20.00 करोड़ नगर परिषद, श्रीगंगानगर को आवंटित करवाने का श्रम करावें।
8. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त बीकानेर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
11. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
13. आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आवंटित राशि को कार्यो की क्रियान्विति हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड कार्यालय श्रीगंगानगर को हस्तानान्तरित करने की सुनिश्चिता करें।
14. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड कार्यालय श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची में वर्णितानुसार कार्यो की निविदायें अविलम्ब आमंत्रित कर कार्यो को क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें।
15. प्रभारी वेबसाईट/समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)